FORM No. III

App. A
Crim - 1

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड एवं उपजिला मजिस्ट्रेट

बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा मुकाम बनेड़ा

........रामचन्द्र जाट........ बनाम ....महादेव जाट वगै०........

........111, 128 LR Act........ नं. ....71........ सन् ....2020........

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
वकील ....प्रार्थी.... द्वारा ....प्रार्थना.... पत्र अन्तर्गत धारा ....111, 128 LR Act.... विरूद्ध ....विपक्षी गण.... पेश किया गया । ....प्रार्थना.... पत्र बाद जाँच दर्ज रजिस्टर किया जाकर ....विपक्षी गण.... की तलबी हेतु पत्रावली दिनांक ....10/9/020.... को पेश हो । [signature]	
पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण/दौरे अवकाश में हैं/अन्य राजकार्य में व्यस्त हैं/अतः अवकाश पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 15/12/20 को पेश हो।	
15/12/20 पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण/दौरे अवकाश में हैं/अन्य राजकार्य में व्यस्त हैं/अतः अवकाश पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 16/2/21 को पेश हो। आज्ञा से रीडर	
6/4/21 आज्ञा से रीडर	
पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2022.04.13 15:47:34 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
प्रशासन गॉवां के संग अभियान मुकाम रायला तहसील बनेड़ा
पीठासीन अधिकारी – श्री अंशुल सिंह (आर.ए.एस.)

0 – 216/2020

उनवान

रामचन्द्र पिता गोगल जाट नि0 रायला तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
———————— (प्रार्थी)

बनाम

महादेव पिता गोवर्धन जाट नि0 रायला तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज0
गोपाल पिता राकमरण जाट नि0 रायला तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज0
रामेश्वर पिता रामकरण जाट नि0 रायला तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज0
राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
——————————(अप्रार्थी)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा0भू0अधिनियम 1956 बाबत पत्थरगढ़ी कराने के।

: : निर्णय : :

दिनांक – 29.11.2021

वादी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा0भू0राजस्व अधिनियम के तहत न्यायालय मे दिनांक 02.06.2020 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम रायला ल बनेड़ा की कृषि भूमि के आ0न0 90/2, 652, 1367 कुल किता 03 रकबा 06.16 स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षी संख्या 01 से 03 पड़ौसी हैं प्रार्थी एवं गण के मध्य आराजी के सीमा चिह्न नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न रहता हैं। जिससे वादी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। दन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत वादपत्र इस न्यायालय प्रशासन गाँवों के संग केम्प मुकाम रायला मे दिनांक .2021 को पंजीबद्ध किया ... से कोई उजरदारी पेश नही व प्रतिवादी द्वारा सहमति ... द्वारा प्रस्तुत वाद के विरूद्ध उनकी ओर ोई आपत्ति नही हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2022.04.13 15:47:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भील.

प्रस्तुत वाद के पक्ष पर पक्षकार को सुना गया । प्रस्तुत बहस पर गौर किया गया। वली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवादित णेत हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के खाते की कृषि भूमि हैं और इस प्रकार एक दार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार हैं। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी कार किया जाता हैं।

: : आदेश : :

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरूद्ध विपक्षी स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम रायला तहसील ा की कृषि भूमि के आ0न0 90/2 , 652 , 1367 कुल किता 03 रकबा 06.16 बीघा भूमि पत्थरगढ़ी से पूर्व उभय पक्षकारान को जरिये नोटिस सूचित करा (विधिवत तामील करा) हलात समस्त पड़ौसान के किये जाने का आदेश पारित किया जाता है । उक्त आदेश की ना मे तहसीलदार बनेडा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिये जाते है । रगढी के लिए भू–अभिलेख निरीक्षक को 700/–रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया र आदेश दिये जाते है कि पक्षकराना को पूर्व मे सूचित कर उनकी उपस्थिति मे रगढी की जावे । कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। आदेश की प्रति नार्थ तहसीलदार बनेड़ा को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। ली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2021 को प्रशासन गॉवो के संग केम्प रायला मे सरे ास सुनाया गया।

(अंशुल सिंह)
उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2022.04.13 15:47:34 IST
Reason: SelfAttested